

प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व न होने का प्रमाण पत्र

परिचय का नाम:- जनापद बागेश्वर ने राज्य योजना के अन्तर्गत असीं से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि अवैदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, इत्यादि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सर्वजनिक उपयोग की नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य उपयोग हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
निर्माण कार्य, उत्तराखण्ड, कपकोट

[Handwritten signature]
प्रभागीय विभाधिकारी
बागेश्वरन प्रभाग
बागेश्वर

[Handwritten signature]
जिलाधिकारी
बागेश्वर

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत असौ से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लोक निर्माण विभाग (निर्माण ऐजेन्सी) द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा। साथ ही मोटर मार्ग निर्माण के दौरान श्रमिकों को ईंधन के लिए किरोसीन/ गैस विभाग अथवा सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वनों को कोई क्षति न पहुँचे।

अधिकांसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

सम्बन्धित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

जिला का नाम- जलपाई बमोजर में राज्य योजना के अन्तर्गत असीों से बसकूना मोटर के निर्माण हेतु जलपाई लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जलपाई परिवोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
जली	142	742
बसु	12	120
बसुना	69	340
साल	10	50
योग-	226	1252

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण, खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

A 2.36

वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (NPV) का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत असौ से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 1.400 है० वन भूमि प्रभावित होती है।

मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाला वन क्षेत्र इकोक्लासेस- 5 (Eco-classes -V) के अन्तर्गत आता है एवं वन्यजीव वन्य जल प्र.सं. 0.3 है। अतः प्रभावित होने वाली वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (N.P.V.)

का अन्वयन न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.08 एवं आदेश दिनांक 09.05.08 में निर्धारित प्रक्रिया तथा नेशनल जलिकारी, देहरादून के पत्रांक 1456/ 1-42 दिनांक 15.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार रू० 8.45 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से रू०

रू० 00.000.....प्रतिशत की दर से रू० 00.000 रू० होता है।

जन प्रभागीय प्रशासिकाधी
बागेश्वर

जन प्रभागीय प्रशासिकाधी
बागेश्वर

प्रभागीय प्रशासिकाधी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत असौ से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 1.400 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यर्पण के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 2.800 हैक्टेयर में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


लोक निर्माण विभाग
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट


अधिशाली अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

प्रस्तावित स्थल विशिष्ट होने / न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत असों से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित स्थल विशिष्ट है।

जिला अधिकारी
बागेश्वर

जिला अधिकारी
बागेश्वर
प्रमाणित प्रमाण

वनाधिकारी

12.5.2017

जिला अधिकारी
बागेश्वर
प्रमाणित प्रमाण

जिला अधिकारी
बागेश्वर

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम— जनपद बानेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत असीं से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित किया जाता है कि यदि प्रस्तुत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०, कपकोट

उप. लो० नि० वि०
कपकोट